

अन्तिम डिकी मुकदमे इब्तादाई  
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवान)



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- उमा मित्तल

आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :-30/2001

1. बुधराम पुत्र लेख राम

2. जगदीश

3. महावीर

4. ओमप्रकाश

पिसरान बुधराम

जाति मेघवाल निवासी 45 एनडीआर तहसील  
पीलीबंगा जिला हनुमानगढ ।

- वादीगण

बनाम

1. रजीराम

2. शंकरलाल

3. धूंकलराम

4. मनोहरी पत्नी भादर जाति मेघवाल जाति मेघवाल साकिन 45 एन डी आर तहसील  
पीलीबंगा जिला हनुमानगढद्य

5. हजारीराम

6. देवीलाल

7. कुन्नीदेवी पत्नी मनीराम पुत्र रावता

8. बद्रीराम

9. सुरेन्द्र

10. शांति पत्नी रावता

11. लिछमण

12. चेतनराम

13. ओमप्रकाश पुत्र रेखाराम जाति मेघवाल साकिन 45 एन डी आर तहसील पीलीबंगा ।

14. रेखाराम

15. शेराराम

16. मनफूल

17. मदनलाल

18. सोहनलाल

19. उदा पुत्र पन्ना जाति मेघवाल साकिन 45 एन डी आर तहसील पीलीबंगा जिला  
हनुमानगढ ।

20. स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा

21. हरीराम पुत्र सुरजाराम (फौत)

21/1. लिछमा पत्नी हरीराम जाति मेघवाल साकिन 44 एन डी आर तहसील पीलीबंगा ।



21/2. राजेन्द्र प्रसाद

21/3. जसराम

21/4. प्रेमकुमार

21/5. विजय पाल

21/6. विनोद

21/7. विमला

21/8 शिमला

पिसरान

हरिराम

जाति मेघवाल

साकिन 44 एन डी आर

तहसील पीलीबंगा।



प्रतिवादीगण

### **दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा**

प्रतिवादी संख्या 21/1 ता 21/8 की ओर से श्री प्रेम कुमार आलड़िया अधिवक्ता हाजिर व राज पेरोकार पीलीबंगा इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत वाद तहसीलदार पीलीबंगा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव दिनांक 25.06.2025 के आधार पर प्रतिवादी संख्या 21/1 ता 21/8 का निम्न अनुसार खाता विभाजन कर अन्तिम डिक्री किया जाता है विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार पीलीबंगा अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा:- लिच्छमा पत्नी हरीराम, राजेन्द्र प्रसाद , जसराम , प्रेम कुमार , विजय पाल विनोद पिसरान हरीराम विमला ,शिमला पुत्रीयां हरीराम जाति मेघवाल साकिन 44 एनडीआर रहन बदस्तूर चक 44 एनडीआर के प.न. 66/348 मु.न. 17 की 1 ता 9 की 2.277 है. रकमराज अलग कायम की जावे।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी / बरानी / गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 17-09-2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी एवम्  
पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा  
पीलीबंगा